न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी :– रामसिंह राजावत (R.A.S.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
29 / 2015	13.04.2015	16.02.2021

उनवान

1. सरदार पुत्र नेतराम जाति गुर्जर निवासी मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–: वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय, तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–: असल प्रतिवादी

2. दाताराम पुत्र नेतराम जाति गुर्जर
3. भम्बू पुत्र नेतराम जाति गुर्जर निवासी मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–: प्रतिवादीगण

दावाः– इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज

–: निर्णय :–

दिनांक :– **16.02.2021**

उपस्थिति :–

1– श्री सरजीत कुमार, वकील वादीगण

मिन वादीगण वाद निम्न प्रस्तुत है :–

कि आराजी खसरा नम्बर 1988 रकबा 0.67, 1989 रकबा 0.20, 1990 रकबा 0.13, 1987 रकबा 0.49, 1984 रकबा 0.43 है0 वाके ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर में स्थित है जो आराजी इस वाद में विवादित आराजी कहलावेगी। उक्त आराजी नेतराम के कब्जे काश्त खातेदारी को आराजी [illegible] होकर शान्ति पूर्वक उक्त आराजी को काश्त करता रहा है। मिन वादी [illegible] प्रतिवादीगण 2 व 3 के पिता नेतराम के फोत होने के बाद उक्त आराजी खसरा नम्बर 1988, 1989, 1990, 1987, 1984 का विरास्त इन्तकाल सम्वत 20[illegible] 2060 में इन्तकाल सं0 1730 दिनांक 17.09.2002 को ग्राम पंचायत द्वारा [illegible] जांच करते हुये मृतक नेतराम खातेदार का सही वारिसान सरदारा, दाताराम, [illegible] व रामप्रसाद के नाम समभाग में स्वीकार किया था। ग्राम पंचायत द्वारा इन्तकाल सं0 1730 को स्वीकार किया गया था वो इन्तकाल सही है ग्राम पंचायत ने वारियान की जॉच करते हुये

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.30 10:05:37 IST
Reason: SelfAttested

२५६–

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

मिलान किया। इन्तकाल सं0 1730 में मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण का नाम सही अंकन हो रहा है तथा रामप्रसाद ने अपना हिस्सा 1/4 भाग दर 21/26 का हक (रिलिज) अपने भाईयो सरदारा, दाताराम व भम्बू को दे दिया जिसक इन्तकाल सं0 1732 स्वीकार किया गया था वो भी ग्राम पंचायत ने सही माना है। उक्त इन्तकाल संख्या 1730 में सरदारा, दाताराम, भम्बू का नाम सही दर्ज हुआ लेकिन उसके बाद जो जमाबन्दीयात बनी उसमें ननगो बेवा नेतराम, मिश्रो, फूला व सरला पुत्रीयान नेतराम का नाम भी अंकित कर दिया जो गलत अंकन हुआ है। जिसे दुरूस्त कराया जाना आवश्यक है। उक्त गलत नाम की जानकारी मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को पूर्व में नही थी क्योंकि मिन वादी व तरप्रतिवादीगण ग्रामीण क्षेत्र अनपढ व्यक्ति है जिनको इसका ज्ञान नही था लेकिन अब क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता होने पर हल्का पटवारी से राजस्व रिकार्ड हालिस किया तो हल्का पटवारी ने गलत इन्दाज का ज्ञान कराया तब सर्वप्रथम जानकारी 20.02.2015 को हुई। मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादी का नाम विरास्त इन्तकाल 1730 में ग्राम पंचायत ने सही मिलान किया था लेकिन राजस्व विभाग ने गल्ती से उसके बाद बनी समस्त जमाबन्दीयात में ननगो देवी, मिश्रो, फूला व सरला का नाम भी अंकित किया जो गलत है इसलिए मिन वादी उक्त गलत इन्द्राज को जमाबन्दीयात से हजफ कराने का अधिकारी है जिस हेतु दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज पेश करना लाजिम आया है। मिन वादी ने समस्त दस्तावेजातो की नकल लेने के बाद श्रीमान तहसीलदार महोदय से उक्त गलत ऐन्ट्री को दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया लेकिन तहसीलदार महोदय ने दुरूस्ती करने से इन्कार कर दिया इसलिए वाद पत्र अन्दर मियाद पेश है। विवादित आराजी पर आज भी मौके पर मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादी 2 व 3 हो काबिज होकर हिस्सेनुसार काश्त–करते आ रहे है लेकिन राजस्व रिकोर्ड में गलत इन्द्राज होने के कारण काफी पेरशानी हो रही है।

वादीगण द्वारा अनुतोष चाहा गया है कि :–

(अ) यह है कि डिक्री इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज इस आश्य की जारी कि जावे की विरास्त इन्तकाल मृतक नेतराम इ0न0 1730 में जो ग्राम– पंचायत द्वारा सरदारा, दाताराम, भम्बू के नाम से स्वीकार किया गया है जो सही है तथा उसके बाद बनने वाली समस्त जमाबन्दीयात से ननगो, मिश्रो, फूला व सरला का नाम हजफ कराये जाने के आदेश फरमाये जावे।

(ब) यह है कि डिक्री इस आश्य की जारी की जावे की विरास्त इन्तकाल के बाद बनी जमाबन्दीयात व हाल जमाबन्दी में सरदारा, दाताराम व भम्ब पुत्रान नेतराम जाति गुर्जर सा0 मुण्डावर का अंकन कराये जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.30 10:05:37 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी उपरान्त प्रतिवादी संख्या 01 उपस्थित नही हुए। बार बार अवसर देने के उपरान्त पैरोकार सरकार के जबाब का अवसर समाप्त किया गया। वकील वादी ने अपने वादपत्र की ताईद में नकल विरास्त इन्तकाल सं0 1732, 1730, नकल जमाबन्दी सम्वत 2057–2060 नकल जमबान्दी 2061 पेश किये है जो शामिल मिसल है। वकील वादी की बहस सुनी गई । दौराने बहस वकील वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दौहराते हुये विवादित आराजी मे उक्तानुसार अमल दरामद किये जाने का अभिकथन किया।

उपखण्डाधिकारी
मण्डावर (अलवर) राज०

वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किये जाने पर वादी द्वारा अपने वाद पत्र को उपरोक्तानुसार स्पष्ट रूप से साबित नही किये जाने की स्थिति में वादी के वाद का यह न्यायालय अस्वीकार योग्य पाता है।

–:: आदेश ::–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर एवम वादी द्वारा अपने वाद को सुसंगत दस्तावेजात के माध्यम से साबित नहीं कर पाये जाने की स्थिति में आराजी खसरा नंबर 1988 रकबा 0.67, 1989 रकबा 0.20, 1990 रकबा 0.13, 1987 रकबा 0.49, 1984 रकबा 0.43 हैक्टेयर वाके ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर के वादीगण के वाद को अस्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वाद वादीगण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 16.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

16/2/21

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.30 10:05:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी :– रामसिंह राजावत (R.A.S.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
29 / 2015	13.04.2015	16.02.2021

उनवान

1. सरदार पुत्र नेतराम जाति गुर्जर निवासी मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय, तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: असल प्रतिवादी

2. दाताराम पुत्र नेतराम जाति गुर्जर
3. भम्बू पुत्र नेतराम जाति गुर्जर निवासी मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: प्रतिवादीगण

दावाः– इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज

—: पर्चा डिक्री :—

वादीगण की ओर से **श्री सरजीत यादव एडवोकट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण अनुपस्थिति में इस वाद में **आज दिनांक 16.02.2021** को **श्री रामसिंह राजावत, उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है **और पर्चा डिक्री दी जाती हैः–**

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर एवम वादी द्वारा अपने वाद को सुसंगत दस्तावेजात के माध्यम से साबित नहीं कर पाये जाने की स्थिति में आराजी खसरा नंबर 1988 रकबा 0.67, 1989 रकबा 0.20, 1990 रकबा 0.13, 1987 रकबा 0.49, 1984 रकबा 0. 43 हैक्टेयर वाके ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर के वादीगण के वाद को अस्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वाद वादीगण खारिज किया जाता है। पक्षकारान् अपना अपना खर्चा वहन करेगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16.02.2021 को मेरे द्वारा लिखी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.30 10:05:37 IST
Reason: SelfAttested

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर जिला अलवर राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0